

Power DISCOMs Haryana

Press Note

Chandigarh, April 9- With a view to enhance transparency, objectivity and fairness in general transfers Chairman and Managing Director, Haryana Power Distribution Companies Sh. Shatrujeet Kapur along with other senior officials visited Sonipat today to assess the performance of Officers posted in Sonipat Circle during the financial year 2017-18. This team would visit all districts in the state over next 10 days and complete the performance assessment in respect of all officers of Power Distribution Companies.

While stating this here today, a spokesman of UHBVN said that, The Power Distribution Companies -Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN) and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam(DHBVN) had introduced a performance-linked online transfer policy last year for officers.

He said that the objective of the policy is to reward good performance, make the process transparent and objective and create a perception of fairness and clarity in general transfers. Operational efficiency would be the first and foremost consideration while deciding transfers and posting of officers and officials. However, hardships being faced by an individual like health problem and couple case may be taken into consideration sympathetically for deciding his or her place of posting.

While referring to the general rules of transfers, the spokesman said that all annual general transfers are being ordered once a year, between April 1 to 30 to enable the transferred officers and officials to join by May 1. No transfers would be made during the rest of the year. He said that Cadre Controlling Authority (CCA) had circulated the list of posts which are vacant or likely to fall vacant well in time for this purpose.

The spokesman said that the officer or official are being transferred on basis of higher or highest assessment score. Officers and officials are being assessed on the scale of 1 to 100 based on the criteria. He said that the Nigam reserves the right to review performance criteria every year, depending upon current priorities, which keep on evolving and changing from time to time.

While referring to the criteria adopted for the assessment score of officers in the rank of XEN, AEE and AE, he said that while 80 marks has been kept for the performance, 20 marks has been reserved for hardship. He said that there is separate criteria for assessment score of officials in the rank of JE-1 and JE. This included 60 marks for performance, 20 marks each for hardship and age respectively. He said that the performance weightage for the above mentioned rank of officers is being assessed by a committee taking an overall view of the performance of the officers and officials on overall competence, integrity and parameters.

He said that minimum tenure of Assistant Executive Engineer (AEE) or Assistant Engineer (AE) would be two years in a post, no officer would serve for more than eight years in one district in the rank of AEE or AE in the entire service span. Also, no officer in the rank of AEE or AE would be posted in his or her home Sub Division. Likewise, XENs would not be posted in their home division. He said that minimum tenure

of JE or JE-1 would be two years in a post and further, they would not be posted for more than five years in one Sub Division in their entire service span.

हरियाणा बिजली वितरण निगम

प्रैस नोट

चंडीगढ़, 9 अप्रैल - उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, डायरेक्टरों व वरिष्ठ अधिकारियों ने सोनीपत का दौरा किया। उन्होंने सर्कल में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यरत अधिकारियों के कार्य - प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। यह टीम अगले 10 दिन में प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर बिजली निगमों के अधिकारियों के कार्य - प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी।

यह जानकारी देते हुए निगमके प्रवक्ता ने बताया कि सामान्य स्थानान्तरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से गत वर्ष दोनों बिजली वितरण निगमों के अधिकारियों के लिए प्रदर्शन आधारित ऑनलाइन स्थानान्तरण नीति शुरू की गई थी।

उन्होंने बताया कि नीति का उद्देश्य अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत करना और सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और स्पष्ट बनाना है। कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण और पोस्टिंग का निर्णय करते समय संचालन दक्षता सबसे महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, कर्मचारी व अधिकारी के स्वास्थ्य की समस्या के मामले में पोस्टिंग के निर्णय लेने में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

स्थानान्तरण के सामान्य नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सभी वार्षिक सामान्य स्थानान्तरणों का आदेश दिया जा रहा है ताकि 1 मई से स्थानान्तरित कर्मचारी और अधिकारी नव स्थल पर कार्य शुरू कर सकें-नियुक्ति-। इसके अलावा पूरे वर्ष के दौरान कोई स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैडर नियंत्रण प्राधिकरण) सीसीए (ने इस उद्देश्य के लिए खाली पदों या जहाँ पद खाली होने की संभावना है की सूची प्रसारित, कर दी है।

उन्होंने आगे बताया कि कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके उच्च या उच्चतम मूल्यांकन स्कोर के आधार पर स्थानान्तरित किया जा रहा है। यह मूल्यांकन 1 से 100 के पैमाने पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम प्रत्येक वर्ष प्रदर्शन मानदंडों की समीक्षा करने का अधिकार रखता है, जो वर्तमान प्राथमिकताओं के आधार पर समय-समय पर विकसित और बदलते रहते हैं।

कार्यकारी अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता रैंक के अधिकारियों के मूल्यांकन अंक के लिए अपनाये गए मापदंडों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के लिए कुल 80 अंक रखे गए हैं और कार्य-कठिनाई के लिए 20 अंक आरक्षित हैं। वहीं जेई- 1 और जेई रैंक के कर्मचारियों के मूल्यांकन अंक के लिए अलग-अलग मानदंड हैं। इसमें प्रदर्शन के लिए 60 अंक, कार्य- कठिनाई के लिए 20 अंक और क्रमशः आयु का अंक शामिल है। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त रैंक के अधिकारियों के लिए प्रदर्शन का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जा रहा है जो संपूर्ण दक्षता और अखंडता के मापदंडों पर कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रदर्शन के बारे में समग्र दृष्टिकोण लेती है।

उन्होंने आगे बताया कि सहायक कार्यकारी अभियंता) एईई (या सहायक अभियंता) एई (का एक स्थान पर न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होगा और वह पूरे सेवा काल में एक जिले में अधिकतम आठ वर्ष तक तैनात रहेंगे। इसके अलावा, एईई या एई रैंक में कोई अधिकारी अपने होम-सब-डिवीजन में तैनात नहीं होगा। इसी तरह, कार्यकारी अभियंता को अपने होम-डिवीजन में पोस्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेई- 1 या जेई का न्यूनतम कार्यकाल एक स्थान पर दो साल का होगा और आगे वे पूरी सेवा अवधि में एक उप-विभाग में अधिकतम पांच साल के लिए तैनात होंगे।